महत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ. प्र., लखनऊ।

पत्रांक–86/ग्रा.अ.से./डॉ.अ.से./ दिनांक लखनऊ 06 जुलाई 2009

1. **समस्त अधिशासी अभियन्ता,**
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता,**
   (परिमण्डल सहारनपुर को छोड़कर)
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   उत्तर प्रदेश।

विषय – वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपद स्तरीय अभियन्ताओं द्वारा निर्माण कार्यों के स्थल निरीक्षण हेतु रोस्टर निर्धारण के सम्बन्ध में।

शासन द्वारा नामित सेक्टर अधिकारियों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के जनपदीय भ्रमण एवं स्थलीय निरीक्षण में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि विभाग के जनपद स्तरीय एवं अन्य अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों का निर्माण अवधि में समुचित स्थलीय निरीक्षण कर मार्ग दर्शन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिसके कारण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रमण के समय कार्यस्थल पर गम्भीर प्रकृति की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

प्रगति के दौरान निर्माण कार्यों का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये जाने पर त्रुटियों का त्वरित निराकरण सम्भव होता है तथा कार्यों की उच्च गुणवत्ता भी सुनिश्चित किया जाना सम्भव होता है। डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का कार्य शासन के प्राथमिकता का कार्य है। इसकी समीक्षा शासन के सर्वोच्च स्तर पर की जाती है। इसलिए अभियन्ताओं के निरीक्षण का रोस्टर तैयार कर निर्माण अवधि में कार्यों का अधिकाधिक निरीक्षण करते हुए कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अतः विभागीय अभियन्ताओं द्वारा निम्नानुसार भ्रमण करते हुए कार्यों की प्रगति एवं मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सन्दर्भ में प्रभावी कार्यवाही की जाय।

1. उक्त सन्दर्भित कार्य के प्रत्येक ग्राम में कार्य का संक्षिप्त विवरण अंकित करते हुये ग्राम प्रधान की अभिरक्षा में एक रजिस्टर रखा जाये, जिसमें निरीक्षण कर्त्ता अधिकारियों द्वारा ग्राम में कार्य के निरीक्षण के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी/सुझाव अंकित किये जायेंगे तथा अंकित निरीक्षण टिप्पणी/सुझाव का अनुपालन करते हुये अनुपालन की स्थिति अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा अंकित की जायेगी। इस सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक–77/ग्रा.अभि.से., दिनांक 03–07–2009 द्वारा पूर्व में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. निर्माण कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों के साथ पूर्ण किये जाने में अवर अभियन्ता की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिए अवर अभियन्ता सप्ताह में न्यूनतम

चार दिन भ्रमण करते हुए उन्हें आवंटित प्रत्येक कार्यों पर सप्ताह में कम से कम दो बार उपस्थित रहकर कार्य का सम्पादन करायेंगे।

3. सहायक अभियन्ता अपने क्षेत्रांर्तगत निर्माण कार्यों का सप्ताह में न्यूनतम चार दिन भ्रमण करते हुए प्रत्येक दिन कम से कम दो डॉ. अम्बेडकर ग्रामों का निरीक्षण करेंगे तथा विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे एवं निरीक्षण के समय कार्यस्थल पर यथा आवश्यक समय देकर पाई गई कमियों/त्रुटियों को ठीक करायेंगे।

4. अधिशासी अभियन्ता जनपद में प्रगति में चल रहे सभी डॉ. अम्बेडकर ग्रामों का माह में कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य करेंगे। एवं कार्यस्थल पर ही प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की कार्यस्थल पर उपस्थिति/निरीक्षण की भी समीक्षा करेंगे तथा साइट रजिस्टर में टिप्पणी अंकित करते हुये अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बिन्दु संख्या–1 में अंकित निरीक्षण रजिस्टर को छोड़कर निरीक्षण/सत्यापन से सम्बन्धित अन्य रिकार्ड अधिशासी अभियन्ता की अभिरक्षा में प्रखण्ड कार्यालय में रखा जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधिशासी अभियन्ता अपने भ्रमण के समय सामान्यतयाः अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता को साथ लेकर न जायें। अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता अपने कार्यक्रम के अनुसार कार्यस्थल पर मौजूद रहें। भ्रमण कार्यक्रम को इस प्रकार नियोजित किया जाये कि अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता सामान्यतयाः एक ही निर्माण स्थल पर न रहें, ताकि निर्माण की अवधि में अधिक से अधिक कार्यों पर में अभियन्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

ह./–
(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

<u>पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक–2600/31–2009–59/2009/टी.सी., दिनांक 04–07–2009 के सन्दर्भ में।

ह./–
(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

उत्तर प्रदेश शासन
डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास अनुभाग–1
संख्या–1737/66–1–09–55/2008,
लखनऊ : दिनांक : 10 अक्टूबर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में संचालित कार्यक्रमों की निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष नियमित एवं लक्ष्यानुसार प्रगति तथा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला एवं मण्डल स्तर पर स्थलीय निरीक्षण एवं सतत् अनुश्रवण हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं–

1. डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के क्रियान्वयन तथा उसके अनुश्रवण हेतु शासन के आदेश दिनांक 14 सितम्बर, 2007 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् एक समिति गठित की गई है–

क.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
ख.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
ग.	समस्त उपजिलाधिकारी	सदस्य
घ.	सम्बन्धित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी	सदस्य
च.	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	सदस्य सचिव

2. उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उक्त जनपद स्तरीय समिति के अतिरिक्त मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय समिति भी निम्नवत् गठित की गई है–

क.	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
ख.	संयुक्त विकास आयुक्त	सदस्य सचिव
ग.	कार्यक्रमों से सम्बन्धित मण्डल स्तर के विभागीय अधिकारी	सदस्य
घ.	उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग	सदस्य

3. उपरोक्त के क्रम में डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं प्रगति की निरन्तर अनुश्रवण करने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्था की जा रही है–

1. सामान्यतया प्रत्येक जनपद के लिए वर्ष 2009–10 में डॉ. अम्बेडकर ग्रामों की संख्या 15 व 40 के बीच निर्धारित है, परन्तु 12 जनपद ऐसे हैं, जहाँ पर यह संख्या 40 से अधिक है। इन ग्रामों की अधिकतम संख्या जनपद आजमगढ़ में 125 सोनभद्र में 117 तथा सीतापुर में 110 है।

2. जिलाधिकारी अपने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के बीच डॉ. अम्बेडकर ग्रामों को जनपद के डॉ. अम्बेडकर ग्रामों की संख्या एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आवंटित करेंगे। जहाँ डॉ. अम्बेडकर ग्रामों की संख्या अधिक है, वहाँ एक अधिकारी को 3 या इससे भी अधिक ग्राम आवंटित हो सकते हैं, परन्तु अन्य जनपदों में एक जनपद स्तरीय अधिकारी को यथा–सम्भव एक या दो समीपवर्ती ग्राम आंवटित किये जायें।
3. जिन जनपद स्तरीय अधिकारियों के पास एक अथवा 2 ग्राम हैं, वे प्रत्येक माह आवंटित ग्राम/ग्रामों का निरीक्षण करते हुए डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण करेंगे और साथ ही उन ग्रामों में कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे। जिन जनपदों में डॉ. अम्बेडकर ग्राम काफी अधिक संख्या में हैं, वहाँ पर संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी 2 माह में एक बार सभी डॉ. अम्बेडकर ग्रामों का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।
4. नामित जिला स्तरीय नोडल अधिकारी जब मासिक निरीक्षण हेतु जायेंगे, उस समय डा. अम्बेडकर ग्रामों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों से संबंधित विभागों के कम से कम तहसील/ब्लाक स्तर के अधिकारी अपनी अद्यावधिक प्रगति आख्या के साथ उपस्थित रहेंगे। साथ ही समस्त ग्रामवासियों की बैठक बुलाकर उनसे कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता के संबंध में जानकारी लेते हुए सत्यापन भी करेंगे। जहाँ आवश्यकता होगी अथवा संदेह होगा संबंधित अधिकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की चेकिंग मुख्य विकास अधिकारी के अधीनस्थ गठित किये जाने वाले तकनीकी सेल के माध्यम से करायेंगे।
5. जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी निरीक्षण/भ्रमण के दौरान पायी गयी कमियों तथा कमियों को दूर करने के लिए सुझावों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को अनुपालन हेतु भेजेंगे तथा अपनी निरीक्षण आख्या मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
6. आगामी माह के प्रथम सप्ताह में इन सभी निरीक्षण आख्याओं को मुख्य विकास अधिकारी अपने जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और जिलाधिकारी इनका संज्ञान डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की समीक्षा के दौरान लेंगे। जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा इंगित की गयी कमियों तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर भी विशेष रूप से विचार किया जायेगा।
7. मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर डॉ. अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत कराये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों यथा–सी.सी. रोड, के.सी. ड्रेन, सम्पर्क मार्ग, डामरीकरण अथवा खड़न्जा डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र आदि की तकनीकी जांच हेतु एक तकनीकी सेल का गठन किया जाये, जिसमें 3 सहायक अभियंता रहेंगे। एक सहायक अभियन्ता, पी.डी./डी.डी.ओ. ऑफिस से एक सहायक अभियन्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी/जिला परिषद कार्यालय से तथा एक सहायक अभियन्ता किसी अन्य विभाग से नामांकित किये जायेंगे। जहाँ संभव हो

इस तकनीकी सेल का गठन किसी नामित अधिशासी अभियंता के अधीनस्थ किया जाये। इस तकनीकी सेल के द्वारा जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी अथवा कहीं से विशिष्ट प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो इस निर्माण कार्य की जांच करके निरीक्षण आख्या मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

8. इसी प्रकार मण्डलायुक्त अपने स्तर पर मण्डल में पड़ने वाले सभी डॉ. अम्बेडकर ग्रामों के निरीक्षण हेतु एक रोस्टर तैयार करते हुए अपने मण्डल स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से इन ग्रामों का निरीक्षण करायेंगे। मण्डलायुक्त द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित कराया जायेगा कि मण्डल में पड़ने वाले सभी ग्रामों का निरीक्षण 3 माह में कम से कम एक बार अवश्य समस्त मण्डल स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित हो सके।
9. मण्डल स्तर पर भी डॉ. अम्बेडकर ग्रामों के अन्तर्गत कराये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों तथा– सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन, डामरीकरण अथवा खडन्जा तथा डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण आदि की तकनीकी जांच हेतु एक तकनीकी सेल का गठन किया जाये, जिसमें एक अधिकशासी अभियंता जो इस तकनीकी सेल का प्रभारी होगा तथा 2 अन्य सहायक अभियन्ता मण्डलायुक्त द्वारा नामित किये जायेंगे। इस तकनीकी सेल से मण्डल स्तरीय टास्क फोर्स तथा शासन स्तर से विशिष्ट प्रकार के निर्माण कार्यों के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच करायी जा सकेगी।
10. डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित इन सभी निरीक्षण/भ्रमण का लेखा–जोखा जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी तथा मण्डल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त के द्वारा रखा जायेगा और प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त द्वारा क्रमशः इनका अवलोकन किया जायेगा।
11. यदि भविष्य में किसी डॉ. अम्बेडकर ग्राम के आकस्मिक निरीक्षण अथवा शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त करायी गयी जांच में कमियाँ अथवा अनियमितताएं पायी जाती हैं तो उस संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा, जिसके द्वारा समय–समय पर प्रश्नगत डॉ. अम्बेडकर ग्राम/ग्रामों का निरीक्षण/भ्रमण किया गया।

ह./–
(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव,

पृष्ठांकन संख्या– 706(1)/डॉ.अ.ग्रा.स.वि.वि./10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्री–मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

6. प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, ऊर्जा, राजस्व, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लघु सिंचाई, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि एवं नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9 निदेशक, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग (सेल), उत्तर प्रदेश ।
10. मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री (श्री जीमल अख्तर)
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. गार्ड बुक।

ह./–
(मंजु चन्द्र)
विशेष सचिव,

संख्या–1792(1)/66–1–09–40/09

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव/सचिव**
   लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/राजस्व/ऊर्जा एवं समाज कल्याण विभाग।
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 29 अक्टूबर, 09

विषय –वर्ष 2009–10 में डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना हेतु चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में योजना के कार्यक्रमों में संतृप्तीकरण का मानक निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2539/33–2–2008–115जी/2008 दिनांक 16 जून, 2009 के क्रम में निर्गत डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास अनुभाग–1 के शासनादेशों संख्या–1021/66–1–09–49/05 दिनांक 18–06–09, संख्या–1164/66–2009–49/05 दिनांक 10 जुलाई, 09 संख्या–1226/66–1–09–49/05, दिनांक 22 जुलाई, 09 संख्या–1390/66–1–09–49/05, दिनांक 11 अगस्त, 09 एवं पंचायती राज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–4103/33–2–2009–115 जी/2009, दिनांक 15 सितम्बर, 09 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए डॉ. अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में से 2000 ग्राम तथा वर्ष 1997–98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में से 195 ग्राम अर्थात् कुल 2195 ग्रामों का चयन करते हुए इन ग्रामों तथा इनके मजरों को योजना के समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम व उनके प्रशासकीय विभाग निम्नवत् हैं–

क्रमांक	कार्यक्रम	प्रशासनिक विभाग
1.	स्वच्छ शौचालय	पंचायती राज विभाग
2.	मार्गों का निर्माण	
	क. सम्पर्क मार्ग	लोक निर्माण विभाग
	ख. सी.सी. रोड, के.सी. ड्रेन व अन्डर ग्राउन्ड ड्रेन	पंचायती राज विभाग
3.	ग्रामीण विद्युतीकरण	ऊर्जा विभाग
4.	स्वच्छ पेयजल	ग्राम्य विकास विभाग
5.	ग्रामीण आवास एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन : क. आवासहीन को आवासीय पट्टा ख. आवासहीन को आवास ग. भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा	राजस्व विभाग ग्राम विकास विभाग राजस्व विभाग

4. डॉ. अम्बेडकर

1. स्वच्छ शौचलय –

स्वच्छ शौचालय निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम के समस्त बी.पी.एल. एवं 10 प्रतिशत ए.पी.एल. परिवारों को पूर्णतया आच्छादित किया जायेगा।

2. मार्गों का निर्माण –

क. सम्पर्क मार्ग –

चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों के मुख्य राजस्व ग्राम को सम्पर्क मार्ग में जोड़े जाने पर उस ग्राम को संतृप्त माना जायेगा। सम्पर्क मार्ग का निर्माण ग्राम की आबादी के प्रथम घर तक किया जायेगा।

ख. सी.सी. रोड, के.सी. ड्रेन व अण्डर ग्राउण्ट ड्रेन का निर्माण –

चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी.सी. रोड तथा के. सी. ड्रेन के निर्माण के मानक पंचायतीराज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2539/ 33–2–2008–115जी/2008 दिनांक 16 जून, 2009 द्वारा निम्नवत् निर्धारित है–

(i) सी.सी. रोड के साथ केवल के.सी. ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा तथा कवर्ड ड्रेन का निर्माण नहीं कराया जायेगा।

(ii) सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का निर्माण घनी आबादी वाली उन्हीं गलियों में कराया जायेगा, जिसके दोनों तरफ आबादी होगी।

(iii) जहां गली के केवल एक तरफ आबादी है, वहां 2.5 मी. की चौड़ाई की सीमा तक सी.सी. रोड का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें आबादी की तरफ ही के.सी. ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा।

(iv) सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन के निर्माण का कार्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के मजरों में ही प्रारम्भ किया जायेगा।

(v) जहां मजरे में दो आबादी के बीच 50 मीटर से कम की दूरी है, वहां 2.5 मीटर की चौड़ाई की सीमा तक सी.सी. रोड का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें के.सी. ड्रेन का निर्माण नहीं कराया जायेगा।

(vi) जहां मजरों के बीच में 50 मीटर से अधिक की लम्बाई में सड़क है, वहां उसका डामरीकरण/सी.सीरोड का निर्माण (बिना के.सी. ड्रेन के) लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने बजट से कराया जायेगा।

(vii) चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी.सी. रोड की औसत चौड़ाई 2.5 मीटर रखी जाय। उदाहरण स्वरूप यदि किसी ग्राम में 300 मीटर सी.सी. रोड का निर्माण किया जाना है, तो उसकी औसत चौड़ाई 2.5 मीटर के साथ कुल 750 वर्ग मीटर सी.सी. रोड का निर्माण किया जा सकेगा, अर्थात् चयनित किसी ग्राम में सी.सी. रोड की चौड़ाई कहीं 2.5 मीटर से कम होगी, तो कहीं 2.5 मीटर से अधिक हो सकती है, परन्तु औसत चौड़ाई 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(viii) डॉ. अम्बेडकर ग्राम के सभी मजरों में आबादी की आन्तरिक सड़कों में सी.सी. रोड व के.सी. ड्रेन के निर्माण हेतु रु. 40 लाख की अधिकतम धनराशि का प्राविधान है। शासनादेश संख्या–4103/33–2–2009–115जी/2008 दिनांक 15 सितम्बर, 2009 की शर्तों के अधीन जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त को जनपद में उपलब्ध बचत की धनराशि में क्रमश रु. 50 लाख तथा रु. 60 लाख की सीमा तक की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। जहाँ ग्राम में उपर्युक्त धनराशि से भी सी.सी. रोड व के.सी. ड्रेन का निर्माण ग्राम व मजरों तक पूरा नहीं हो सके वहाँ अवशेष आन्तरिक मार्ग हेतु डामरीकरण/खडन्जा नाली का निर्माण कार्य पूर्व में आवंटित 04 मडलों (मेरठ, सहारनपुर, चित्रकूट व गोरखपुर) के 15 जनपदों में लोक निर्माण विभाग व शेष 14 मण्डलों के 56 जनपदों में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा इस संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।

मुख्य राजस्व ग्राम तथा मजरों में आन्तरिक सड़कों का निर्माण पूरा हो जाने तथा मुख्य राजस्व ग्राम एवं मजरों को (single connectivity) से जोड़ दिये जाने पर ग्राम इस कार्यक्रम से संतृप्त माना जायेगा।

3. ग्रामीण विद्युतीकरण

(i) डॉ. अम्बेडकर ग्राम में मूलभूत सुविधाएं तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन उस ग्राम के आबाद क्षेत्र एवं समस्त मजरों तक पहुँच जाय।

(ii) उस ग्राम के सार्वजनिक स्थलों जैसे–स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र में विद्युत सुविधा उपलब्ध करा दी जाय।

(iii) उस ग्राम के कुल परिवारों के 10 प्रतिशत परिवार विद्युतीकृत हो जाय।

उपर्युक्त मानकों के अनुसार डॉ. अम्बेडकर ग्राम में विद्युत की पहुँच हो जाने पर ग्राम संतृप्त माना जायेगा।

4. स्वच्छ पेयजल –

इस योजना में नये हैण्डपम्पों की स्थापना, स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में स्वचछ पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित/जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य बस्तियों में 70 व्यक्तियों की वर्तमान जनसंख्या पर अलग–अलग

अनिवार्य रूप से एक हैण्डपम्प का अधिष्ठापन तथा नया हैण्ड पम्प पूर्व स्थित हैण्ड पम्प से न्यूनतम 75 मीटर की दूरी पर अधिष्ठापित किया जाय।

5. **ग्रामीण आवास एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन –**

(i) आवासहीन को आवासीय पट्टा – डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में उपलब्ध भूमि को राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित वरियता क्रम में प्रथम वरियता अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को देते हुए पात्र लाभार्थियों को भूमि के आवंटन एवं विधिवत कब्जा दिये जाने के उपरान्त ही ग्राम संतृप्त माने जायेंगे।

(ii) आवासहीन को आवास – भारत सरकार द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार बी.पी.एल. सर्वे 2002 की इन्दिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार पात्र परिवारों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राम व मजरों के सभी पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध करा देने पर ग्राम इस कार्याक्रम से संतृप्त माना जायेगा।

(iii) भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा – डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम–1950 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित वरीयता क्रम में प्रथम वरीयता अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को देते हुए, पात्र लाभार्थियों को भूमि के आवंटन एवं विधिवत कब्जा दिये जाने के उपरान्त ही डॉ. अम्बेडकर ग्राम को संतृप्त माना जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह./–
(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव,

संख्या– 1792(1)/66–09, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्री–मण्डलीय सचिव, उ.प्र. शासन।
2. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
5. समस्त सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6 निदेशक, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग (सेल), उ.प्र.।
7. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से
ह./–
(मंजु चन्द्र)
विशेष सचिव,

महत्वपूर्ण / आवश्यक
संख्या–706(1) / डॉ.अ.ग्रा.अ.से.वि.वि. / 2010

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव /**
   लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, राजस्व विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग लखनऊ : दिनांक : जनवरी , 2010

विषय – वर्ष 2010–11 हेतु डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की कार्ययोजना का स्वरूप।

महोदय,

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को आवश्यक अवस्थापना एवं जनकल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुये समग्र रूप से विकसित करने के उद्देश्य से डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में मार्गों का निर्माण (सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम में आन्तरिक मार्गों का निर्माण), ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, आवासहीन को आवास एवं कृषि योग्य भूमि व आवासीय भूमि का आवंटन कार्यक्रम सन्निहित हैं।

वित्तीय वर्ष 2010–11 की कार्ययोजना के विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि–

1. वर्ष 2010–11 के लिए इस योजनान्तर्गत कुल 2224 डॉ. अम्बेडकर ग्राम चयनित किए गये हैं। इसमें से वर्ष 1995–96 के समस्त अवशेष 1803 डॉ. अम्बेडकर ग्राम एवं 408 ग्राम वर्ष 1997–98 के चयनित ग्रामों के सम्मिलित हैं। प्रत्येक जनपद के लिए कम से कम 15 डॉ. अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है। जनपद गौतमबुद्धनगर व हमीरपुर में चूंकि वर्ष 1995–96 तथा 1997–98 के अवशेष ग्राम 15 से कम उपलब्ध हैं अतः इन दो जनपदों में क्रमशः 10 व 3 ग्राम वर्ष 2002–03 के चयनित ग्रामों में से लिये गये हैं।

2. उपर्युक्त चयनित ग्रामों में योजना के समस्त पाँच कार्यक्रमों–मार्गों का निर्माण (सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम में आन्तरिक मार्गों का निर्माण), ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, आवासहीन को आवास एवं कृषि योग्य भूमि व आवासीय भूमि का आवंटन कार्यक्रम को ग्राम के समस्त मजरों तक लागू किया जाएगा।

3. वर्ष 1995–96 व 1997–98 में चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्यक्रम तत्समय भी लागू किया गया था अतः इन चयनित ग्रामों में सम्पर्क मार्ग उस समय निर्मित हुए हैं किन्तु यदि किसी ग्राम में विशेष परिस्थितिवश सम्पर्क मार्ग निर्मित नहीं हुआ है तो प्रशासकीय विभाग की अनुमति से उस ग्राम में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाएगा।

4. ग्राम के मजरों को सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने के संबंध में यदि मजरे से मजरे की दूरी 50 मीटर से अधिक है तो निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा तथा यदि यह दूरी 50 मीटर तक है तो वहां पंचायती राज विभाग उक्त कार्य संबंधित कार्यदायी संस्था के माध्यम से करायेंगे।

5. मजरों को जोड़ने के कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 में लागू प्रक्रिया के अनुसार 10 प्रतिशत मिट्टी का कार्य नरेगा से कराया जाएगा और शेष धनराशि अपने विभागीय बजट से वहन की जायेगी।

6. सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन के निर्माण के लिए प्रत्येक जनपद को डॉ. अम्बेडकर ग्राम में औसतन 50 लाख रुपये की धनराशि व्यय करने का अधिकार होगा। जनपद स्तर पर आवंटित धनराशि में से, कतिपय ग्रामों में 50 लाख से कम व्यय होने के कारण, बचत की धनराशि यदि उपलब्ध है तो रु. 60 लाख तक कार्य की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा और 70 लाख तक की स्वीकृति आयुक्त द्वारा दी जा सकती है। जो ग्राम के आंतरिक मार्ग सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन से आच्छादित होने से अवशेष रह जाते हैं, वहाँ नाली/खडण्जा का कार्य कराया जाएगा।

7. नाली/खडण्जा निर्माण के लिए श्रम का सम्पूर्ण अंश तथा उसके आनुपातिक सामग्री के अंश को जनपद स्तर पर नरेगा से कराया जाएगा तथा सामग्री अंश की अवशेष धनराशि पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

8. ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, झांसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ व फैजाबाद मण्डलों में तथा लोक निर्माण विभाग मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, देवीपाटन, चित्रकूट व इलाहाबाद मण्डलों में आन्तरिक मार्गों के निर्माण (सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन, नाली/खडण्जा)का कार्य कराया जाएगा।

9. शेष कार्यक्रम यथा आवासहीन को आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ, पेयजल, स्वच्छ शौचालय तथा कृषि व आवासीय पट्टा वर्ष 2009–10 की भाँति क्रियान्वित किए

जाएगे तथा इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व संतृप्तीकरण के लिए पूर्व वर्ष में लागू प्रक्रिया व मानव तथा यथासमय निर्गत विभागीय आदेश लागू होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

भवदीय
ह./–
(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव,

पृष्ठांकन संख्या– 706(1)/डॉ.अ.ग्रा.स.वि.वि./10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्री–मण्डलीय सचिव, उ.प्र. शासन।
2. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
5. समस्त सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
7. मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री (श्री जीमल अख्तर)
8 निदेशक, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग (सेल), उ.प्र.।
9. उप सचिव, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास अनु.–1, उ.प्र. शासन।
10. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से
ह./–
(मंजु चन्द्र)
विशेष सचिव,

महत्वपूर्ण / आवश्यक
संख्या–706 / डॉ.अ.ग्रा.अ.से.वि.वि. / 2010

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव /**
   लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, राजस्व विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग **लखनऊ : दिनांक : 16–02–2010**

विषय – वर्ष 2010–11 हेतु डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत ग्रामों का चयन एवं कार्ययोजना संबंधी दिशा–निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को आवश्यक अवस्थापना एवं जलकल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुये समग्र रूप से विकसित करने के उद्देश्य से डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में मार्गों का निर्माण (सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम में आन्तरिक मार्गों का निर्माण), ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, आवासहीन को आवास एवं कृषि योग्य भूमि व आवासीय भूमि का आवंटन कार्यक्रम सन्नितहित हैं।

उपर्युक्त के विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अधोलिखित के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए–

1. वर्ष 2010–11 के लिए इस योजनान्तर्गत कुल 2224 डॉ. अम्बेडकर ग्राम चयनित किए गये हैं। इसमें से वर्ष 1995–96 के समस्त अवशेष 1803 डॉ. अम्बेडकर ग्राम एवं 408 ग्राम वर्ष 1997–98 के चयनित ग्रामों के सम्मिलित हैं। प्रत्येक जनपद के लिए कम से कम 15 डॉ. अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है। जनपद गौतमबुद्धनगर व हमीरपुर में चूंकि वर्ष 1995–96 तथा 1997–98 के अवशेष ग्राम 15 से कम उपलब्ध हैं अतः इन दो जनपदों में क्रमशः 10 व 3 ग्राम वर्ष 2002–03 के चयनित ग्रामों में से लिये गये हैं। उपरोक्तानुसार चयनित ग्रामों की सूची विभागीय वेबसाइट http://agvv.up.nic.in पर उपलब्ध है।

2. उक्त सूची का भलीभांति परीक्षण कर यह देख लिया जाए कि क्या उक्त चिन्हांकित ग्रामों में से कोई ग्राम शहरी क्षेत्र में तो नहीं आ गया/योजना के समस्त कार्यक्रमों से संतृप्त तो नहीं हैं/किन्ही कारणोंवश असाध्य तो नहीं हैं और यदि उसको परिवर्तित किया जाना है तो एक सप्ताह के भीतर शासन को अवगत करायें जिससे कि सूची को अन्तिम रूप दिया जा सके।

3. उपर्युक्त चयनित ग्रामों में योजना के समस्त पाँच कार्यक्रमों–मार्गों का निर्माण (सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम में आन्तरिक मार्गों का निर्माण), ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, आवासहीन को आवास एवं कृषि योग्य भूमि व आवासीय भूमि का आवंटन, को ग्राम के समस्त मजरों तक लागू किया जाएगा।

4. ग्राम के मजरों को सिंगिल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने के संबंध में यदि मजरे से मजरे की दूरी 50 मीटर से अधिक है तो निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा तथा यदि यह दूरी 50 मीटर तक है तो वहां पंचायती राज विभाग उक्त कार्य संबंधित कार्यदायी संस्था के माध्यम से करायेंगे।

5. मजरों को जोड़ने के निर्माण कार्य के लिए श्रम का सम्पूर्ण अंश तथा उसके अनुपातिक सामग्री अंश की व्यवस्था जनपद स्तर पर नरेगा से तथा अवशेष सामग्री अंश की धनराशि की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से की जायेगी।

6. सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन के निर्माण के लिए वर्ष 2010–11 में प्रत्येक जनपद को चयनित प्रति डॉ. अम्बेडकर ग्राम रु. 50 लाख रुपये की दर से धनराशि अवमुक्त की जाएगी और इस धनराशि को प्रति ग्राम औसत लागत मानते हुए सी.सी. रोड व के.सी. ड्रेन का निर्माण कराया जाएगा। ऐसे डॉ. अम्बेडकर ग्राम जो रु. 50 लाख से कम लागत से सी.सी. रोड व के.सी. ड्रेन के निर्माण से संतृप्त हो जाते हैं, उनकी बचत की धनराशि जिलाधिकारी ऐसे अन्य डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी.सी. रोड व के. सी. ड्रेन निर्माण के लिए व्यय कर सकेंगे जहाँ आगणन रु. 50 लाख से ऊपर है। ऐसे ग्राम जहाँ रु. 50 लाख की सीमा से अधिक धनराशि का कार्य होना है, वहाँ रु. 60 लाख तक की स्वीकृति संबंधित जिलाधिकारी द्वारा तथा रु. 70 लाख तक की स्वीकृति संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रदान की जाएगी परन्तु उक्त स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही स्वीकृत किए जाएं तथा मानकों से बाहर अर्थात् अनावश्यक कार्य न स्वीकृत किए जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा उक्त स्वीकृति जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही दी जाएगी। ग्राम के जो आंतरिक मार्ग सी.सी. रोड व के.सी. ड्रेन से आच्छादित होने से अवशेष रह जाते हैं, वहाँ खडण्जा व नाली निर्माण का कार्य कराया जाएगा।

7. खडण्जा व नाली निर्माण पर व्यय होने वाली धनराशि में से श्रम का सम्पूर्ण अंश तथा उसके आनुपातिक सामग्री के अंश को जनपद स्तर पर नरेगा से वहन किया जाएगा। खडण्जा/नाली निर्माण हेतु सामग्री अंश की अवशेष धनराशि के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत आवश्यक धनराशि का प्राविधान पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जाएगा।

8. सी.सी. रोड एवं नाली खडण्जा निर्माण वर्तमान में लागू आदेशों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

9. शेष कार्यक्रम यथा आवासहीन को आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ, पेयजल, स्वच्छ शौचालय तथा कृषि व आवासीय पट्टा वर्ष 2009–10 की भाँति क्रियान्वित किए जाएगे तथा इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व संतृप्तीकरण के लिए पूर्व वर्ष में लागू प्रक्रिया व मानव तथा यथासमय निर्गत विभागीय आदेश लागू होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

भवदीय

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव,

पृष्ठांकन संख्या– 706(1)/डॉ.अ.ग्रा.स.वि.वि./10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्री–मण्डलीय सचिव, उ.प्र. शासन।
2. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
5. समस्त सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
7. मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री (श्री जीमल अख्तर)
8 निदेशक, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग (सेल), उ.प्र.।
9. उप सचिव, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास अनु.–1, उ.प्र. शासन।
10. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. प्रभारी, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग सेल, उ.प्र.।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(मंजु चन्द्र)
विशेष सचिव,

महत्वपूर्ण / आवश्यक
संख्या–8(1) / 02 / डॉ.अ.ग्रा.अ.से.वि.वि. / 2010

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग लखनऊ : दिनांक : 8 अप्रैल, 2010

विषय – डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 हेतु संचालित कार्यक्रमों की समय–सारिणी एवं कार्यक्रमों की प्रगति आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2010–11 हेतु डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन एवं कार्ययोजना सम्बन्धी दिशा–निर्देश जारी किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–706 / डॉ.अ.ग्रा.स.वि.वि. / 2010, दिनांक 16 फरवरी, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तावित कार्यक्रमों के अन्तर्गत संतृप्तीकरण का कार्य दिसम्बर, 2010 तक पूर्ण किये जाने हेतु मासिक लक्ष्य / समय–सारिणी एवं चिन्हित डॅ. अम्बेडकर ग्रामों में संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों का मासिक प्रगति विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रपत्र भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मासिक प्रगति विवरण हेतु निर्धारित प्रपत्र व समय–सारिणी विभागीय वेबसाइट http://agvv.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009–10 के लिए निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा भौतिक कार्य की प्रगति के अनुसार की जायेगी। मार्गों के निर्माण कार्यक्रम के निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का आंगणन लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय कार्यों के लिए निर्धारित प्रक्रिया व मानक के अनुसार भी किया जायेगा। शेष कार्यक्रमों में प्रगति का आंकलन ग्रामों / मजरों के संतृप्तीकरण के आधार पर किया जायेगा।

4. अस्तु उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप अपने मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उक्त मासिक लक्ष्य / समय–सारिणी तथा प्रगति समीक्षा के लिए निर्धारित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट http://agvv.up.nic.in से प्राप्त कर मासिक लक्ष्यों / समय–सारिणी के अनुसार ग्रामों

का संतृप्तीकरण करते हुए उसकी प्रगति आख्या निर्धारित समयान्तर्गत आपको उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आप द्वारा जनपदों से निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त मासिक प्रगति विवरण का मण्डलवार संकलित विवरण प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक डॉ. अम्बे. ग्राम सभा विकास विभाग को ई–मेल agvvlko@yahoo.com पर उपलब्ध कराया जाना संभव हो सके।

भवदीय
ह./–
(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव,

संलग्नक – यथोवत।

संख्या– 8(1)/2/डॉ.अ.ग्रा.स.वि.वि./2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पंचायती राज, ग्राम विकास, राजस्व, ऊर्जा व समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे निर्धारित मासिक लक्ष्यों के अनुसार संतृप्तीकरण सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ.प्र. शासन।
3. समस्त सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. उप सचिव, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास अनुभाग–1 व 2, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से
ह./–
(मंजु चन्द्र)
विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
संख्या– बी–1–1252 / दस–2010–231 / 2010
लखनऊ : दिनांक : 13 अप्रैल, 2010

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के बजट में प्रावधानित धनराशियों के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने तथा धनराशियों को विभागाध्यक्षों / नियंत्रक अधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231 / 2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 द्वारा जारी किये गये हैं। अधोहस्ताक्षरी को उक्त दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में निम्नवत् किन्चित संशोधन करने अथवा स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है–

1. उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 मार्च, 2010 के प्रस्तर–2(1) में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (सप्तम संस्करण) के इक्कीसवें अध्याय के अनुलग्नक–ए के स्थान पर उन्नीसवें अध्याय के अनुलग्नक–ए पढ़ा जाय।

2. कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 मार्च, 2010 के प्रस्तर–2(1)(ख) में उल्लेख किया गया है कि निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी.एफ.ए.डी.), व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) अथवा वित्त विभाग को सन्दर्भित करने से पूर्व वित्त विभाग में सक्षम स्तर से कार्यदायी संस्था का निर्धारण कर लिया जाय तथा चयनित संस्था से आगणन तैयार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि 'सक्षम स्तर' का आशय विभाग के प्रभारी मंत्री से है। कार्यदायी संस्था के चयन के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत संस्था अनुमानित निर्माण लागत का कार्य करने तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत है। कार्यदायी संस्था के चयन के उपरान्त, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, नई संस्था चयनित न की जाय, ताकि परियोजना की लागत में कॉस्ट–ओवर–रन्स की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी को कष्ट

देने की आवश्यकता नहीं है।

3 कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 मार्च, 2010 के प्रस्तर 13 में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा समाज कल्याण विभाग की अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत नये निर्माण कार्यों की परियोजना लागत में अधिष्ठान व्यय को भी सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रस्तर को निम्नवत् संशोधित समझा जाय–

"लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग द्वारा सी.सी.एल. प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–2011 में सम्पादित किये जाने वाले नये निर्माण कार्यों (अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत प्रावधानों के समक्ष सम्पादित किये जाने वाले कार्यों सहित) के लिए निर्माण लागत का 6.875 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय का अंश जोड़कर आगणनों का गठन किया जाय। इस प्रकार यदि निर्माण लागत रुपये 100 है, तो इस कार्य की कुल निर्माण लागत रुपये 106.875 (कार्यांश रुपये 100 तथा अधिष्ठान व्यय का अंश रुपये 6.875) होगी और वित्तीय स्वीकृति इसी धनराशि की दी जायेगी और सम्पूर्ण राशि पूंजीगत पक्ष में परियोजना पर व्यय के रूप में दिखायी जायेगी, लेकिन अधिष्ठान व्यय का अंश (रुपये 6.875) सड़क और सेतु सम्बन्धी परियोजना के लिए लेखाशीर्ष 1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियाँ–05–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियाँ और भवन निर्माण सम्बन्धी परियोजना के लिए लेखाशीर्ष 0059–लोक निर्माण कार्य–80–सामान्य–103– प्रतिशता प्रभारों की वसूली–02–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियाँ में जमा किया जायेगा। इसी प्रकार सिंचाई विभाग के अधिष्ठान व्यय के अंश को लेखाशीर्ष 0701–मध्यम सिंचाई–08–सामान्य–800–अन्य प्राप्तियाँ–03–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियाँ में जमा किया जायेगा।

लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले डिपाजिट कार्यों के लिए भी उक्त व्यवस्था यथावश्यक संशोधन सहित अपनायी जायेगी।

वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–बी–1–1060/दस–2010–100(4)/2002ब.मै. दिनांक 12 अप्रैल, 2010 द्वारा यह पूर्व ही अवगत कराया जा चुका है कि समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों तथा विशेष सचिवों को उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (सप्तम संस्करण) की प्रतियाँ निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित प्रारूप पर मांग पत्र प्राप्त होने पर वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3

द्वारा मैनुअल की प्रतियाँ उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त मैनुअल के सप्तम संस्करण को वित्त विभाग की वेब साईट http://budget. up.nic.in पर अपलोड कराया जा रहा है।

ह./–
(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या– 1792(1)/66–09, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ. प्र., कार्यालय ज्ञाप दि. 26–03–10 की प्रतिलिपि सहित।
2. मुख्य सचिव, विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 मार्च 2010 की प्रतिलिपि सहित।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6 समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड बुक।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से
ह./–
(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं
विशेष सचिव,

संख्या–41/250/डॉ.अ.ग्रा.अ.से.वि.वि./09टी.सी.

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग लखनऊ : दिनांक : 22 अप्रैल, 2010

विषय – वर्ष 2010–11 हेतु चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों की कार्ययोजना के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–08/02/डॉ.अ.ग्रा.सं.वि.वि./2010, दिनांक 08–अप्रैल, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 15 अप्रैल, 2010 तक कार्ययोजना तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्ययोजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए–

   1. तैयार की गयी कार्ययोजना का भौतिक सत्यापन अप्रैल, 2010 के अन्त तक सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त सत्यापन कार्यक्रम से सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा किया जाय। रैण्डम आधार पर 10 प्रतिशत भौतिक सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भी कराया जाय। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा भी सत्यापन किया जाय।
   2. मार्गों के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में कार्य योजना के अनुसार कार्य विवरण का नक्शा–नजरी तैयार कर लिया जाय। सत्यापन करने वाले अधिकारी द्वारा इसी नक्शा–नजरी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जाए।
   3. शासन स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा माह फरवरी–मार्च 2010 में किये गये निरीक्षण से यह संज्ञान में आया है कि सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन के निर्माण में कई ग्रामों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है तथा कई स्थानों पर सी.सी. रोड का स्लोप ठीक नहीं पाया गया है।

      कार्ययोजना के सत्यापन में इस बात को भी देखा जाय कि जो आंतरिक मार्ग/के.सी. ड्रेन/नाली बनायी जा रही है, उसके द्वारा जल निकासी की समुचित व्यवस्था अंत तक की गयी है। योजना के क्रियान्वयन

में प्रारम्भ से ही इस बिन्दु पर भी ध्यान दिया जाय। सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन का स्लोप समुचित हो।

4. भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी परीक्षण किया जाय कि जो कार्य होने हैं, उनमें कोई ऐसी बाधा या अड़चन तो नहीं है, जिसके कारण कार्य विवादित हो या किया जाना सम्भव न हो। क्योंकि बाद में कार्य न होने पर जो आंशिक कार्य छूट जाता है या असाध्य घोषित कराने का प्रस्ताव वर्ष के अन्त में प्राप्त होता है, उससे कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और व्यय की गयी धनराशि का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।

5. योजनान्तर्गत कार्यक्रमों में सम्बन्धित विभागों तथा इस विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कार्य कराये जायें तथा मार्गों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नरेगा से कार्य कराये जाने सम्बन्धी पूर्व में निर्गत आदेशों का भी अनुपालन किया जाय।

6. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 अप्रैल, 2010 द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य/समय–सारिणी के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाय। मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप पर ही इस विभाग को उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित प्रारूप के किसी कालम/क्रम में अपने स्तर से कोई परिवर्तन न किया जाय।

7. इस विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेश विभागीय वेबसाइट http://agvv.up.nic.in पर उपलब्ध है। वेबसाईट सदैव अद्यावधिक की जाती है। अतः सम्बन्धित अधिकारियों को कृपया अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उक्त वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहे।

8. शासनादेश संख्या–1737/66–1–09–55/2008, दिनांक 10 अक्टूबर, 2009 द्वारा योजनान्तर्गत कार्यक्रमों में लक्ष्यानुसार प्रगति तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद/मण्डल स्तर पर स्थलीय निरीक्षण एवं सतत् अनुश्रवण की वयवस्था की गयी है, जिसमें ग्राम के लिए नोडल अधिकारी बनाये जाने की भी व्यवस्था की गयी है और नोडल अधिकारी के कार्य व उत्तरदायित्व भी उल्लिखित किये गये हैं।

   उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा तद्नुरूप सतत् निरीक्षण व अनुश्रवण की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू की जाय। यह पाया गया है कि जिन जनपदों में जिलाधिकारियों ने उपर्युक्त व्यवस्था को गंभीरता से लागू किया है वहाँ योजनान्तर्गत कार्य की प्रगति व गुणवत्ता में निश्चित रूप से उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

9. जनपदों से प्राप्त कार्ययोजनाओं के अवलोकन से यह संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा आन्तरिक मार्गों के निर्माण में सी.सी. रोड व नाली/खड़न्जा के अतिरिक्त डामरीकरण का कार्य भी दर्शाया गया है, जबकि कार्ययोजना के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 18 फरवरी,

2010 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जहाँ पर निर्धारित धनराशि से सी. सी. रोड बनाने के बावजूद आंतरिक मार्ग का निर्माण शेष रह जाता है वहां खड़न्जा/नाली का ही कार्य कराया जायेगा।

कृपया इस दृष्टि से अपनी कार्ययोजना का पुनः परीक्षण कर लें तथा यथाआवश्यक संशोधन करते हुए संशोधित कार्ययोजना इसी मासान्त तक उपलब्ध करा दें।

भवदीय
ह./–
(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव,

पृष्ठांकन संख्या–41/250/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. उप सचिव, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से
ह./–
(मंजु चन्द्र)
विशेष सचिव,

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ. प्र., लखनऊ।
पत्रांक–199 / डॉ.अम्बेडकर ग्राम दिनांक लखनऊ :: 11 मई, 2010

1. **समस्त अधिशासी अभियन्ता,**
   (मण्डल सहारनपुर, मेरठ, चित्रकूटधाम एवं गोरखपुर को छोड़कर)
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता,**
   (परिमण्डल सहारनपुर को छोड़कर)
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   उत्तर प्रदेश।

विषय – डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।

दिनांक 10–05–2010 को राज्य स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सी. सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के समय सभी चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

कृपया सभी डॉ. अम्बेडकर ग्रामों का विस्तृत निरीक्षण करते हुये यह सुनिश्चितकर लिया जाये कि आवश्यकता के अनुरूप ड्रेन का निर्माण पूर्ण है तथा उसका ढाल सही है। जहाँ कहीं ड्रेन की अतिरिक्त आवश्यकता पाई जाये, उसे उस ग्राम की बचत से कराया जा सकता है। ढाल में कोई कमी पाये जाने की स्थिति में उसका तत्काल निराकरण कराया जाये। सम्बन्धित डॉ. अम्बेडकर ग्राम के कार्य प्रभारी अवर अभियन्ता पानी निकासी की आवश्यकता के अनुरूप ड्रेन का ढाल सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इस कार्य में निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता भी उत्तरदायी होंगे। डॉ. अम्बेडकर ग्राम में निर्माण कार्य से सम्बन्धिता अवर अभियन्ता का नाम एवं मोबाइल नम्बर सूचना बोर्ड में अवश्य अंकित किया जाये। किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिशासी उत्तरदायी होंगे। सहायक अभियन्ता शत प्रतिशत, अधिशासी अभियन्ता अपने प्रखण्ड के न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से अपने परिमण्डल के न्यूनतम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण करते हुये यह सुनिश्चित करेंगे कि सुगमतापूर्वक पानी निकासी हेतु नालियों के ढाल ठीक हैं तथा कार्य विशिष्टियों के अनुरूप हुआ है।

डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में उपरोक्तानुसार इंगित बिन्दुओं पर समय से कार्यवाही से सम्पादित कराने का उत्तरदायित्व अधीक्षण अभियन्ता का भी होगा।

ह./–
(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ह./–
(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ. प्र., लखनऊ।
पत्रांक–148/डॉ.अम्बेडकर ग्राम दिनांक :: लखनऊ 11 मई, 2010

1. **समस्त अधिशासी अभियन्ता,**
(मण्डल सहारनपुर, मेरठ, चित्रकूटधाम एवं गोरखपुर को छोड़कर)
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता,**
(परिमण्डल सहारनपुर को छोड़कर)
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश।

विषय – डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।

दिनांक 10–05–2010 को राज्य स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सी. सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के समय सभी चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

1. वर्ष 2009–10 में सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन तथा खडन्जा एवं नाली निर्माण से संतृप्त डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में किसी ग्राम में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के निमित्त यदि आउटफाल ड्रेन की आवश्यकता हो तो उसका निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा या अन्य किसी योजना से जिलाधिकारी की स्वीकृति के अनुरूप विभागीय स्तर से अथवा ग्राम पंचायतों के माध्यम से सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाये।

2. उपरोक्त व्यवस्था वर्ष 2010–11 हेतु चयनित सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन निर्माण कार्यों में भी सुनिश्चित की जाये।

डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में उपरोक्तानुसार इंगित बिन्दुओं पर समय से कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे तथा अधीक्षण अभियन्ता भी समय–समय पर उक्त कार्यों का निरीक्षण करते हुये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

ह./–
(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभि. सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग, उ. प्र. शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ह./–

(उमा शंकर)

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

संख्या–939/66–01–10–49/05

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास अनु.–1 **लखनऊ : दिनांक : 12–05–2010**

विषय – सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन के निर्माण में स्लोप तथा अन्त तक जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

महोदय,

दिनांक 10–05–2010 को राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में आन्तरिक मार्गों के निर्माण कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान इस बात पर असंतोष व्यक्त किया गया कि अभी भी ग्राम के अन्दर कई स्थानों पर आन्तरिक मार्गों के निर्माण में समुचित स्लोप नहीं दिया गया है। तथा उन स्थानों पर अन्त में पानी की समुचित निकासी स्थल यथा– तालाब, पोखर आदि तक नहीं ले जाया गया है। उक्त त्रुटियों के कारण जल निकासी सुचारु रूप से नहीं हो पाएगी, जिससे आन्तरिक मार्ग/के.सी. ड्रेन/नाली बनाये जाने का उद्देश्य पूरी तरह सफल नहीं हो पायेगा तथा गांव में जलभराव की अनपेक्षित समस्या भी उत्पन्न होगी।

2– उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010–11 हेतु चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों की कार्ययोजना के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश विषयक शासनादेश संख्या–41/250/डा.अ. ग्रा.स.वि.वि./09टी.सी. दिनांक 22 अप्रैल, 2010 में भी यह निर्देश दिये गये हैं कि कार्ययोजना के सत्यापन में इस बात को भी देखा जाए कि जो आन्तरिक मार्ग/के.सी. ड्रेन/नाली बनायी जा रही है उसके द्वारा जलनिकासी की समुचित व्यवस्था अन्त तक की गयी है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आन्तरिक मार्गों का स्लोप ठीक है।

3– उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में जो भी सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन अथवा खडन्जा/नाली बनायी जा रही है उसमें

पानी की निकासी का अन्त में समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए तथा आवश्यकतानुसार इसका कार्य नरेगा से कराया जा सकता है। कार्ययोजना में इसकी समुचित व्यवस्था अवश्य रखी जाए। समुचित स्लोप एवं जल निकासी सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व विशेष रूप से कार्यदायी संस्था के जनपदस्तरीय अधिकारी का होगा तथा परिवेक्षीय अधिकारी के रूप में मुख्य विकास अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों को अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव,

पृष्ठांकन संख्या–939(1)/66–1–10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/पंचायती राज/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ.प्र. शासन।
2. समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग सेल, उ.प्र.।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(योगेश चन्द्र)
उप सचिव,

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ. प्र., लखनऊ।

पत्रांक–210 / डॉ.अम्बेडकर ग्राम दिनांक लखनऊ 24 मई, 2010

1. **समस्त अधिशासी अभियन्ता,**
   (मण्डल सहारनपुर, मेरठ, चित्रकूटधाम एवं गोरखपुर को छोड़कर)
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता,**
   (परिमण्डल सहारनपुर को छोड़कर)
   ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
   उत्तर प्रदेश।

विषय– डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभाग द्वारा डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में कराये जा रहे सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के सन्दर्भ में निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित कराते हुये निर्देशित किया जाता है कि उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करते हुये समुचित जलनिकासी एवं योजना के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये–

- लीन कांक्रीट डालने के पूर्व ही जल निकासी हेतु लेबल सुनिश्चित किया जाये तथा लीन कांक्रीट मिक्सर से मिक्स करते हुये ही डाली जाये तथा मानक के अनुसार उसकी कुटाई एवं तराई सुनिश्चित की जाये।

- Contraction Joint मानक के अनुसार निर्धारित अन्तराल पर ही बनाये जाने चाहिये। भविष्य में Contraction Joint कटर से ही बनाये जाये। दिवस का सी. सी. कार्य बन्द होने के स्थान पर अगले दिवस कार्य प्रारम्भ करते समय सीधी रेखा में Construction Joint अवश्य बनाया जाय।

- सीमेण्ट कांक्रीट में पानी का अनुपात अधिक होने की स्थिति में सैग्रीगेशन की स्थिति उत्पन्न होती है एवं स्ट्रेन्थ में भी कमी आती है। सीमेण्ट कांक्रीट में वाटर सीमेण्ट का अनुपात मानक के अनुसार ही रखा जाये।

- नाली का ग्रैडिएन्ट विशिष्टियों के अनुरूप रखा जाये, ताकि नाली से पानी की समुचित निकासी हो सके। गाँव में नैचुरल स्लोप के अनुसार नाली के स्लोप निर्धारित किये जाय। यदि किसी ग्राम में पूर्व निर्मित खडन्जा मार्ग का लेबिल ऊँचा हो तो उसका लेबिल नीचा करते हुये आवश्यकतानुसार खडन्जा की फिर से लेइंगि करते हुये निर्माण कार्य इस प्रकार कराया जाये, ताकि समुचित रूप से जल निकासी हो सके।

- कतिपय स्थानों पर क्रास ड्रेनेज में पी.वी.सी. पाइप का प्रयोग किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। क्रास ड्रैनेज में यू टाइप की ड्रेन बनाई जाये एवं उस पर आर.सी.सी. कवर इस तरह का रखा जाये, जिसे उठाकर सफाई की जा सके। यदि यू ड्रेन बनाने हेतु पर्याप्त गहराई कार्य स्थल पर न उपलब्ध तो लोहे का चैनल का प्रयोग पानी निकासी हेतु किया जा सकता है, किन्तु चैनल फिक्स करने के पूर्व प्राइमर एवं पेन्टिंग अवश्य कर ली जाये।

सरफैस टैक्सचर/ब्रूमिंग (Brooming) कार्य मानक के अनुसार अवश्य किया जाये।

के.सी. ड्रेन ड्राइंग के अनुसार बनाई जाये। सी.सी. रोड की तरफ के.सी. ड्रेन की edge (एज) स्ट्रेट Vertical न रखा जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह./–
(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ह./–
(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ. प्र., लखनऊ।
पत्रांक–223/ग्रा.अ.से./डॉ.अम्बे.सेल/सी.सी.रोड/2010–11 दि.–25–05–2010

1. **समस्त अधिशासी अभियन्ता,**
(मण्डल सहारनपुर, मेरठ, चित्रकूटधाम एवं गोरखपुर को छोड़कर)
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता,**
(परिमण्डल सहारनपुर को छोड़कर)
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश।

विषय – Quality Assurance Register **के रख–रखाव के सम्बन्ध में।**

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक–75/ग्रा.अ..से./डा./अ./से./सी.सी.रोड–के.सी.ड्रेन, दिनांक 02 जुलाई, 2009 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का निर्माण कार्य को गुणवत्ता परक ढंग से सम्पादित कराने हेतु निर्माण सामग्रियों का निर्माण में प्रयोग होने से पूर्व गुणवत्ता परीक्षण करने तथा परीक्षण परिणामों को संकलित रूप से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से Quality Assurance Register उपलब्ध कराते हुये रख–रखाव सुचारु–रूप से करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कतिपय जनपदों में डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में निर्माणाधीन सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन कार्यों के निरीक्षण में पाया गया कि उक्त Quality Assurance Register का रख–रखाव एवं उसमें प्रविष्टियों का समुचित अंकन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त के परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि Quality Assurance Register का रख–रखाव निम्नानुसार अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए–

1. प्रत्येक कार्य हेतु पृथक–पृथक Quality Assurance Register निर्गत करते हुये उसका लेखा–जोखा रखा जाय।
2. निर्माण सामग्री एवं कार्यों का निर्धारित मात्रा में प्राविधान के अनुरूप गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किया जाये एवं निष्कर्षों का अंकन रजिस्टर में किया जाये।
3. आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण एवं Quality Assurance Register के रख–रखाव का दायित्व सम्बन्धित अवर अभियन्ता का होगा।
4. अवर अभियन्ता द्वारा किये गये परीक्षण एवं Quality Assurance Register में प्रविष्टियाँ की सत्यता का उत्तरदायित्व सम्बन्धित सहायक अभियन्ता का होगा।
5. अधिशासी अभियन्ता द्वारा भी अपने भ्रमण के समय कतिपय Test किये जायेंगे एवं रजिस्टर पर उसका अंकन किया जायेगा तथा अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता से इस सम्बन्ध में उनके दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित कराया जायेगा।

6. अधिशासी अभियन्ता कार्य के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित करेगें कि सम्बन्धित कार्य हेतु आवश्यक टेस्ट करते हुये Quality Assurance Register में प्रविष्टियाँ अंकित कर दी गई हैं।

7. इस सम्बन्ध में कृपया अधीक्षण अभियन्ता भी उक्त का परिपालन कराना सुनिश्चित करें एवं अपने भ्रमण के समय उक्त रजिस्टर का अवलोकन अवश्य करेंगे तथा अपनी निरीक्षण टिप्पणी में इस बात का उसका उल्लेख करेंगे कि Quality Assurance Register में निर्धारित मात्रा में किये गये टेस्ट परिणामों की प्रविष्टियाँ ठीक है अथवा नहीं।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह./–
(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ह./–
(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

महत्वपूर्ण/आवश्यक
संख्या–1071/66–01–10–49/05

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव/**
   लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, राजस्व विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग **लखनऊ : दिनांक : 03–06–2010**

विषय – वर्ष 2010–11 हेतु डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन का निर्माण।

महोदय,

वर्ष 2010–11 हेतु चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में योजनान्तर्गत कार्यक्रम लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 41/250/डा.अ.ग्रा.स.वि.वि./09टी.सी. दिनांक 22–04–2010 तथा योजनान्तगत ग्रामों के चयन एवं कार्ययोजना सम्बन्धी दिशा–निर्देश विषयक शासनादेश संख्या–706/डा.अ.ग्रा.स.वि.वि./2010 दिनांक 16–02–2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त शासनादेश द्वारा वर्ष 2010–11 हेतु चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सी. सी. रोड/के.सी. ड्रेन के निर्माण के संबंध में यह व्यवस्था निर्धारित की गयी है कि प्रत्येक जनपद के चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों को प्रति ग्राम सभा 50 लाख रुपये की दर से कुल धनराशि जनपद स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे डॉ. अम्बेडकर ग्राम जो 50 लाख रुपये से कम लागत में सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन के निर्माण से संतृप्त हो जाते हैं, तब जनपद स्तर पर उपलब्ध बचत धनराशि में से जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को अन्य डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में इस निर्माण कार्य हेतु 60 लाख एवं 70 लाख रुपये क्रमशः तक की स्वीकृति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इसके पश्चात् वे डॉ. अम्बेडकर ग्राम जो अभी भी सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन से पूर्ण रूप से संतृप्त/आच्छादित होने से अवशेष रह जायेंगे, उन ग्रामों के आन्तरिक मार्गों पर खडन्जा/नाली का निर्माण कार्य कराया जाना है।

3– उपर्युक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2010–11 हेतु चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में सम्पूर्ण आन्तरिक मार्ग के लिए सी. सी. रोड/के.सी. ड्रेन का ही निर्माण किया जाएगा। अर्थात् पूर्व शासनादेश में विहित नाली/खड़न्जा के स्थान पर अब केवल सी.सी. रोड का ही निर्माण किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था के अनुसार चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में शत–प्रतिशत सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन का निर्माण कराये जाने हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपदों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा सी.सी. रोड व के.सी. ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों में विहित अन्य व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेंगी और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार जनपद स्तर पर संशोधित कार्ययोजना तैयार कर आवश्यकतानुसार प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उक्त कार्य योजना की एक प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए।

भवदीय

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव,

पृष्ठांकन संख्या– 1071(1)/66–1–10–49/05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्री–मण्डलीय सचिव, उ.प्र. शासन।
2. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
5. समस्त सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
7. मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री (श्री जीमल अख्तर)
8 निदेशक, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग (सेल), उ.प्र.।
9. उप सचिव, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास अनु.–1, उ.प्र. शासन।
10. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. प्रभारी, डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग सेल, उ.प्र.।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(मंजु चन्द्र)
विशेष सचिव,

अति महत्वपूर्ण

कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ. प्र., लखनऊ।
पत्रांक–281/ग्रा.अ.से./डा.अम्बे.सेल/2010–11 दिनांक–11–06–2010

समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश। (परिमण्डल सहारनपुर को छोड़कर)

विषय – सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन के निर्माण में स्लोप तथा अन्त तक जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

विषयांकित संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास अनु.–1 के शासनादेश संख्या–939/66–1–10–49/05 दिनांक 12–05–2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आन्तरिक मार्गों का समुचित स्लोप सुनिश्चित करने के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में जो भी सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन अथवा खडण्जा नाली बनायी जा रही हैं, उसमें पानी की निकासी का अन्त में समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये तथा आवश्यकतानुसार इसका कार्य नरेगा से कराया जा सकता है।

इस संदर्भ में निदेशालय के पत्रांक–148/डॉ. अम्बेडकर ग्राम/दिनांक 11–05–2010 एवं पत्रांक–179/डॉ. अम्बेडकर ग्राम/दिनांक 13–05–2010 द्वारा भी वर्ष 2009–10 में संतृप्त डॉ. अम्बेडकर ग्रामों के अतिरिक्त वर्ष 2010–11 में सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन निर्माण हेतु चयनित ग्रामों में समुचित जल निकासी हेतु आवश्यक आउटफाल ड्रेन का प्राक्कलन जिला स्तर पर प्रस्तुत कर पानी की निकासी का समुचित प्रबंध सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। दिनांक 10–06–2010 को विकास एवं प्रशासनिक कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में प्रत्येक ग्रामों का मौके पर सत्यापन दिनांक 25–06–2010 तक कराते हुये प्राक्कलन प्रस्तुत कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या–149/पी.एस./आर.ई.एस./2010, दिनांक 10–06–2010 द्वारा उक्त के क्रम में निर्देशित किया गया है कि 04 से 05 टीमें गठित कर कार्यों का शत–प्रतिशत सत्यापन उक्त तिथि तक करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये तथा जो कमियाँ पायी जाये उसके निराकरण की व्यवस्था की जाये, जिसके बाद मण्डलायुक्त द्वारा इसका सत्यापन कराया जायेगा।

अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार वर्ष 2009–10 में संतृप्त एवं 2010–11 में प्रस्तावित प्रत्येक डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के निमित्त आउटफाल ड्रेन की आवश्यकता का सत्यापन सहायक अभियंता (क्षेत्रीय सहायक अभिंयता से भिन्न) की अध्यक्षता में टीम गठित कर निर्धारित तिथि तक करा लिया जाये। टीम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता के अतिरिक्त एक अन्य अवर अभियन्ता भी नामित किया जाये। सत्यापन में पायी गयी स्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप प्राक्कलन प्रस्तुत करते हुये दिनांक 25–06–2010 तक जनपदवार सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप (15 कालम) पर उपलब्ध करायी जाये। सूचना

समय से प्राप्त न होने अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। सत्यापन उपरान्त अधिशासी अभियन्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाये कि "सभी ग्रामों का सत्यापन करा लिया गया है तथा आवश्यक प्राविधान कर लिया गया है"।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा रेन्डम आधार पर प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 10 डॉ. अम्बेडकर ग्राम एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रत्येक जनपद के न्यूनतम 02 ग्रामों का स्वयं सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि टीम द्वारा सही सत्यापन किया गया है।

ह./–
(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ.प्र. लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह./–
(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

प्रेषक,

एन. एस. रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता,**
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
परिमण्डल, उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त अधिशासी अभियन्ता,**
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
प्रखण्ड, उत्तर प्रदेश।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा – अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 29 जून, 2010**

विषय – डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में बनायी जाने वाली के.सी. ड्रेन व आउट फाल ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास के शासनादेश संख्या–107/66–1–10–49/05, दिनांक 03–06–2010 एवं तत्क्रम में जारी निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या–281, दिनांक 11–06–2010 के द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में बनायी जाने वाली के.सी. ड्रेन का ढाल इस प्रकार हो कि नालियों में पानी न रुकने पाये और आबादी में किसी भी दशा में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यह भी निर्देश दिये गये थे कि आबादी के बाहर जहाँ सी.सी. रोड व के.सी. ड्रेन आकर समाप्त हो जाती है, वहाँ से नाले अथवा किसी तालाब/पोखर तक पानी के समुचित निस्तारण हेतु आउट फाल ड्रेन का निर्माण अवश्य किया जाय। यह भी अपेक्षा की गयी थी कि सभी चयनित ग्रामों की कार्य योजना का तद्नुसार पुनरीक्षण कर संशोधित कार्य योजना दिनांक 25–06–2010 तक सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाये और सभी अधिशासी अभियन्ता द्वारा संशोधित कार्य योजना का शत–प्रतिशत सत्यापन कर सूचना उपलब्ध करायी जाय। सत्यापन के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रापत किया जाये कि सभी ग्रामों का सत्यापन करा लिया गया है तथा आवश्यक प्राविधान कर लिया गया है।

कतिपय जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों से प्राप्त जानकारी से यह विदित हुआ है कि कई ग्रामों में अभी तक कार्य योजना को संशोधित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो के.सी. ड्रेन के स्थान पर गली के बीचो–बीच ड्रेन को ही कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है यह नितान्त गैर जिम्मेदाराना एवं अनुशासनहीनता है और शासन के आदेशों का उल्लंघन है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अक्षरसः पालन सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी स्तर से शासन को यह सूचना प्राप्त हुई कि किसी ग्राम में के.सी. ड्रेन व आउट फाल ड्रेन के निर्माण में शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ताओं तीनों के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय
ह./–
(एन. एस. रवि)
प्रमुख सचिव,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता (पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें और व्यापक रूप से भ्रमण कर मौके पर स्थिति का जायजा लें।
2. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय से पूर्ण कराने हेतु।

आज्ञा से
ह./–
(एन. एस. रवि)
प्रमुख सचिव,

आवश्यक / फैक्स

कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ. प्र., लखनऊ।
पत्रांक–जी–118 / ग्रा.अ.से. / डॉ.अम्बे.सेल / निर्देश / 2010–11 दिनांक–30–06–2010

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश। (परिमण्डल सहारनपुर को छोड़कर)

विषय – डॉ. अम्बेडकर ग्रामों में बनायी जाने वाली के.सी. ड्रेन व आउटफाल ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्रांक–2091 / 62–3–2010–49एम / 2010 दिनांक 29–06–2010 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के परिपालनार्थ कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने परिमण्डल अन्तर्गत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ को उक्त शासनादेश की प्रति आज ही फैक्स से भेजते हुये अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

ह. / –
(दिनेश कुमार)
अधि. अभि. (डा. अम्बे. सेल)
कृते निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि श्री शहजादे लाल, संयुक्त सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

ह. / –
(दिनेश कुमार)
अधि. अभि. (डा. अम्बे. सेल)
कृते निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में संतृप्तीकरण हेतु समय–सारणी

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम (भौतिक प्रगति के आकलन के आधार पर)	माहवार कार्यक्रम की भौतिक प्रगति/ग्रामों के संतृप्तीकरण का लक्ष्य (प्रतिशत में)									
		मार्च, 2010	अप्रैल, 2010	मई, 2010	जून, 2010	जुलाई 2010	अगस्त 2010	सितम्बर 2010	अक्टूबर 2010	नवम्बर 2010	दिसम्बर 2010
1	मार्गों का निर्माण (भौतिक प्रगति लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार)	1. सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन गठन का कार्य। 2. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा निविदा प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना। 3. 15 अप्रैल, 2010 तक कार्ययोजना शासन को उपलब्ध कराना जाना। 4. अनुबन्ध गठन एवं कार्य आरम्भ।									
क	सम्पर्क मार्ग का मिर्नाण/ मजरों को आपस में जोड़ने से संबंधित मार्गों का निर्माण			5	10	15	15	20	60	80	100
ख	सी.सी. रोड/के.सी. ड्रेन निर्माण			5	15	25	35	45	60	80	100
ग	ग्राम/मजरों के अवशेष भाग में आवश्यकता अनुसार खडन्जा एवं नाली का निर्माण			5	15	25	35	45	60	80	100
2	ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत ग्राम के सभी मजरों का विद्युतीकरण	1. सर्वेक्षण एवं आवश्यक सामग्री क्रय। 2. 15 अप्रैल, 2010 तक कार्ययोजना शासन को उपलब्ध कराया जाना।		5	15	25	35	45	60	80	100
3	स्वच्छ पेयजल	1. सर्वेक्षण/स्थल का चयन एवं आवश्यक सामग्री का क्रय। 2. 15 अप्रैल, 2010 तक कार्ययोजना शासन को उपलब्ध कराया जाना।		5	15	25	35	45	60	80	100
4	स्वच्छ शौचालय	1. लाभार्थियों का चयन 2. 15 अप्रैल, 2010 तक कार्ययोजना शासन को उपलब्ध कराया जाना।		5	15	25	35	45	60	80	100
5	ग्रामीण आवास एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन										
क	आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना			शत प्रतिशत आवासों का कार्य प्रारम्भ	10	20	35	50	60	80	100
ख	आवासहीन को आवासीय पट्टा			10	20	35	50	60	80	100	–
ग	भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा			10	20	35	50	60	80	100	–

नोट – मार्गों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों में प्रगति का आंकलन ग्रामों/मजरों के संतृप्तीकरण के आधार पर किया जायेगा।

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना

वर्ष 2010–11 में वर्ष 1995–96, 1997–98 व वर्ष 2002–03 के चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों/मजरों के संतृप्तीकरण का

जनपद/मण्डल का नाम

कार्यक्र

धनराशि – लाख

क्रं0सं0	जनपद का नाम	कुल चिन्हित ग्रामों की संख्या	पूर्व से संन्तृप्त ग्रामो की सं0	ग्रामों की स्थिति												संतृप्ती–करण का प्रतिशत
				लक्ष्य			माह में प्रगति			क्रमिक प्रगति			अवशेष लक्ष्य			
				लक्षित ग्रामों की संख्या	भौतिक कार्य	वित्तीय आवश्यकता	संतृप्त ग्राम	भौतिक कार्य	वित्तीय आवश्यकता	संतृप्त ग्राम	भौतिक कार्य	वित्तीय आवश्यकता	संतृप्त ग्राम (5–11)	भौतिक कार्य (6–12)	वित्तीय आवश्यकता (7–13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	मार्गों का निर्माण															
	क– सम्पर्क मार्ग निर्माण (ग्राम को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाना)															
	ख– सी.सी. रोड, के.सी. ड्रेन निर्माण															
	i- सी.सी. रोड निर्माण															
	ii- के.सी. ड्रेन निर्माण															

	iii- ग्राम/मजरों के अन्दर डामरीकरण /खडन्जा व नाली निर्माण																
2	ग्रामीण विद्युतीकरण																
3	स्वच्छ पेयजल																
4	डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण																
5	अनुसूचित जाति बस्तियों में सोडियम लाईट लगाना																

नोट– भौतिक कार्य के स्तम्भ में

1. मार्गों के निर्माण में प्रगति लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/मानक के अनुसार आंकलन करके लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि के प्रतिशत में प्रदर्शित की जाए।
2. भौतिक कार्य के स्तम्भ में क्रम सं.–3 के कार्यक्रम में स्थापित हैण्डपम्प की संख्या, क्रम सं.–4 में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों की संख्या तथा क्रम सं.–5 में लगाये गये सोडियम लैम्प की संख्य

डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत

वर्ष 2010–11 में वर्ष 1995–96, 1997–98 व 2002–03 के चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्रामों/मजरों के सतृप्तीकरण का कार्यक्रमवार मासिक प्रगति प्रतिवेदन

जनपद/मण्डल का नाम माह धनराशि (लाख में)/ भूमि हेक्टेयर में

लाभार्थीपरक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	कुल चयनित ग्रामों की संख्या	पूर्व में संतृप्त ग्रामों की संख्या	लक्षित ग्रामों की संख्या	लक्षित ग्रामों के लाभार्थियों का विवरण						वित्तीय लक्ष्य	माह में संतृप्त ग्रामों की संख्या	संतृप्त ग्रामों की संख्या (क्रमिक उपलब्धि)	माह के अन्त तक संतृपत ग्रामों में आच्छादित लाभार्थियों का विवरण (क्रमिक उपलब्धि)						वित्तीय व्यय	अवशेष व्यय (6–14)	स्तम्भ 23 के सापेक्ष जनपद में उपलब्ध धनराशि	संतृप्तीकरण प्रतिशत (स्तम्भ 14 का 5 से)
					कुल लाभार्थी	अनु. जाति / जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अल्प संख्यक	विकलांग जन	सामान्य				कुल लाभार्थी	अनु. जाति / जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अल्प संख्यक	विकलांग जन	सामान्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	स्वच्छ शौचालय																						
7	ग्रामीण आवास एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन																						
	i- आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना																						
	ii- आवासहीन को आवासी पट्टा																						
	iii- भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा																						